

11.11.2021

पत्रावली आज प्रशासन गावों के संग 2021 अभियान शिविर मुकाम सणगारी में पैश हुई। वादी अधिवक्ता ने शिविर में उपस्थित होकर इस मौजूदा वादपत्र अन्तर्गत धारा 53 आर.टी.एक्ट में अब आगे कोई कार्यवाही नहीं चाहने का कथन रखते हुए प्रमाण में आदेशिका पर नोट प्रेस का अंकन कर, हस्ताक्षर किये।

ऐसी स्थिति में इस वादपत्र बाबत विभाजन आराजीयात में अब आगे कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं रह जाती है। अतः वादी का वादपत्र को इसी स्तर पर प्रत्याहरित किये जाने की आज्ञा पारित की जाती है।

पत्रावली नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

